राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 275 / 2022

दायर तारीख 19 / 09 / 2022

अनवान

01. कन्याबाई पुत्री सणगारी पत्नि पन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी गोरधनपुरा हाल मुकाम डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. कमली पुत्री जीतमल पत्नि रामलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी माजी साहब का खेड़ा हाल मुकाम बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. गोरी पुत्र चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. नानालाल पुत्र सणगारी जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी गोरधनपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)।
05. नोला पुत्र घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
06. पन्नी पुत्री सणगारी पत्नि शंभुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी गोरधनपुरा हाल मुकाम सदारामजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
07. भूरालाल पुत्र सणगारी जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी गोरधनपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)।
08. रामलाल पुत्र घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
09. लक्ष्मीचन्द पुत्र घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
10. लालु पुत्र चुन्नीलाल (मृतक)
    - 10.1 जड़ाव पत्नि लालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
    - 10.2 कन्हैयालाल पुत्र लालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
    - 10.3 कमलेश पुत्र लालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
    - 10.4 मांगी पुत्री लालु पत्नि भुरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी माजी साहब का खेड़ा हाल मुकाम सदारामजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
11. संतोषबाई पुत्री सणगारी पत्नि मोहनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी गोरधनपुरा हाल मुकाम किशननिवास (गायत्रीनगर) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
12. सुन्दरबाई पुत्री सणगारी पत्नि मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी गोरधनपुरा हाल मुकाम चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

............प्रार्थीगण

बनाम

01. मोहनलाल पुत्र भूरा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी छोटा नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. अनिल कुमार पुत्र नन्दलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.... विपक्षीगण

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपस्थित :– 1. श्री रामफूल धाकड़ – ....अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री अनिल कुमार धाकड़ –...............अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01
3. श्री मुकेश कुमार धाकड़ –...............अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 13/11/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता रामफूल धाकड़ ने **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थीगण के स्वामित्व की खातेदारी ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा भू.अभि.निरिक्षक बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी नम्बर 512 रकबा 1.2221 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता जो कि विपक्षीगण की उसी ग्राम की आराजी संख्या 1606/510 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, आराजी संख्या 509/2 रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि में होता हुआ प्रार्थीगण की आराजीयात में प्रवेश करता हैं। प्रार्थीगण कई वर्षो से निरन्तर इसी रास्ते को उपयोग उपभोग कर प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजीयात पर काश्त की जा रही है। मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात है रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिए आने–जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, विपक्षीगण ने उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया हैं। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह कि प्रार्थीगण को विपक्षीगण की उक्त आराजियात पर स्थित 15 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा को तैयार हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत् 2073–2076 ग्राम नयागांव एवं नक्शा ट्रैस उक्त आराजीयात का पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 19.09.2022 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई । विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार धाकड़ ने अधिकार पत्र पेश किया। एवं विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार धाकड़ ने अधिकार पत्र पेश किया।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर पत्रांक/रीडर/2024/2332 दिनांक 10.12.2024 को जारी की गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण/मौका रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/1255 दिनांक 29.07.2025 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

लगातार पेज संख्या 03 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि :– भू0अ0नि0 बिजौलियां खुर्द एवं पटवारी हल्का जावदा की रिपोर्ट अनुसार वादीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम नयागांव के आराजी नं0 512 रकबा 1.2221 है0 भूमि जो कि कन्याबाई पुत्री सणगारी 1/54 सा. गोरधनपुरा, कन्हैयालाल पुत्र लालू 1/36 धाकड सा. लक्ष्मीपुरा, तह. तालेडा, जिला बून्दी वगैरह जमाबन्दी अनुसार के नाम पर खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण ग्राम नयागांव की आ.नं. 1606/510 व 509/2 मे से दोनो आराजी की बीच की मेड के सहारे–सहारे दोनो आराजी से 15 फीट चौडाई का रास्ता चाहा गया है। आ.नं. 1606/510 रकबा 0.1052 है0 मे से लघु औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने से इसके तीन नं. दर्ज हुऐ है, जो निम्न हैं आ.नं. 1685/1680 रकबा 0. 0809 है. किस्म गेमु0 लघु औद्योगिक, आ.नं. 1686/1680 रकबा 0.0162 है. किस्म माल प्रथम अनिल कुमार पिता नन्दलाल धाकड सा. हरजीपुरा खातेदार व आ.नं. 1679/1606 रकबा 0.0081 है. किस्म गेमु0 रास्ता बिलानाम दर्ज रेकार्ड है। व आ.नं. 509/2 रकबा 0.0971 है0 भूमि मोहनलाल पुत्र भूरालाल धाकड सा. देह रहन–बैंक ऑफ बडौदा शाखा बिजौलियां के खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आ.नं. 1685/1680, आ.नं. 1686/168 व आ.नं. 509/2 में से निम्न प्रकार प्रस्तावित हैं जो संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	आ0नं0	कुल रकबा (है0 में)	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा (है0 में)	शेष रकबा
1.	1685/1680	0.0809	0.0060	0.0749 है0
2.	1686/1680	0.0162	0.0037	0.0125 है0
3.	509/2	0.0971	0.0107	0.0864 है0
	कुल		**0.0204**	

आ.नं. 1685/1680 रकबा 0.0809 है0 किस्म गेमु0 लघु औद्योगिक दर्ज रेकार्ड है। आ0नं0 1685/1680 सपंरिवर्तनशुदा होने से एक अन्य न्यूनतम दूरी का वैकल्पिक रास्ता आ0नं0 509/2 में से 15 फीट चौडाई का दिया जा सकता है। जिसका प्रस्तावित रकबा निम्न प्रकार हैं :–

क्र.सं.	आ0नं0	कुल रकबा (है0 में)	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा (है0 में)	शेष रकबा
1.	509	0.0971	0.0208	0.0763 है0
	कुल		**0.0208 है0**	

मौके पर उपस्थित प्रतिवादी सं. 01 मोहनलाल धाकड के पुत्र राजेन्द्र धाकड ने बताया कि प्रार्थीगण वर्तमान में आ.नं. 1349/510 मे से आते–जाते है। इसलिए रास्ता इस आराजी मे से दिया जावें। आ.नं. 1349/510 मे से रास्ता दिया जाता है तो रास्ते का प्रस्तावित रकबा निम्न प्रकार हैं :–

क्र.सं.	आ0नं0	कुल रकबा (है0 में)	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा (है0 में)	शेष रकबा
1.	1349/510	0.0971	0.0279	0.0692 है0
	कुल		**0.0279 है0**	

प्रस्तावित रास्तो को सलंग्न नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शो में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते खनिज संभावित/स्वीकृत खनन क्षेत्र से 250 मीटर से अधिक दूरी पर है। आबादी से 600 मीटर की दूरी पर है, तथा एन.एच.–27 से 100 मीटर की परिधि में है।

लगातार पेज संख्या 04 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

ग्राम नयागांव की 01. प्रार्थीगणो द्वारा चाहे गये रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 1685/1680, आ.नं. 1686/1680 व आ.नं. 509/2 कुल किता 3 मे से रकबा 0.0204 है0 भूमि की डी. एल.सी. दर 6136400/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 125183/– रूपये का दुगुना से 250366/– रूपये, 02. प्रार्थीगणो द्वारा चाहा गया रास्ता संपरिवर्तनशुदा आराजी मे से होने से अन्य न्यूनतम दूरी का वैकल्पिक रास्ता हेतु प्रस्तावित आ.नं. 509/2 रकबा 0.0971 है0 मे से 0.0208 है0 भूमि डी.एल.सी. दर 6136400/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 127638/– रू0 का दुगुना से 255276/– रू0 व 03. प्रतिवादी सं. 01 के पुत्र द्वारा बताया गया रास्ता हेतु प्रस्तावित आ.नं. 1349/510 रकबा 0.0971 है0 मे से 0.0279 है0 भूमि डी.एल.सी. दर 6136400/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 171206/– रूपये का दुगुना से 342412/– रूपये राशि बनती है।

अतः मौका रिपोर्ट, नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शे की प्रतियां सलंग्न कर श्रीमान्. की सेवामें अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा, नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रैस पेश किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त स्थल निरिक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं उभयपक्ष की बहस सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि :–

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा में स्थित आराजी नम्बर 512 रकबा 1.2221 हैक्टेयर भूमि में स्वयं के पैदल, मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षी संख्या 1 की ग्राम नयागांव की आराजी नम्बर 509/2 रकबा 0.0971 है0 मे से 0.0208 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम नयागांव की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नम्बर 509/2 रकबा 0.0971 है0 मे से 0.0208 हैक्टेयर भूमि डी.एल.सी. दर 6136400/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 127638/– रू0 का दुगुना से 255276/– रूपये की राशि बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 13/11/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां